महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
ज्ञान शांति मैत्री

डॉ. प्रकाश नारायण त्रिपाठी
Dr. Prakash Narayan Tripathi
सहायक क्षेत्रीय निदेशक / Assistant Regional Director
अकादमिक विभाग/ Department of Academic

दूरभाष/Phone : +91-7152241661

पत्रांक :- 04A/अ.वि./समय-सारणी संबंधी/2025-26/ 2810
दिनांक : 14 जुलाई, 2025

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोंपरांत अकादमिक सत्र : 2025-26 के लिए विधि विद्यापीठ एवं शिक्षा विद्यापीठ को छोड़कर सभी विभागों द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों के लिए समेकित समय-सारिणी प्रेषित की गयी थी। सभी विभागाध्यक्षों से पुन: अनुरोध है कि वे अकादमिक सत्र : 2025-26 के प्रथम अधिसत्र की समय-सारिणी संलग्न प्रारूप के अनुसार तैयार कर दिनांक : 21 जुलाई, 2025 तक संबंधित अधिष्ठाता के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शिक्षा (मनोविज्ञान विभाग को छोड़कर) एवं विधि विद्यापीठ के अधिष्ठाताओं से भी अनुरोध है कि वे अपने विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों की अकादमिक सत्र : 2025-26 में संचालित कार्यक्रमों की समय-सारिणी 21 जुलाई, 2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सभी विभागाध्यक्षों एवं अधिष्ठातागणों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठों के अंतर्गत संचालित सभी विभागों के समस्त कार्यक्रमों की अकादमिक सत्र : 2025-26 के प्रथम अधिसत्र की समय-सारिणी 28 जुलाई, 2025 तक माननीय कुलपति महोदया के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

अतः आप सभी से पुन: अनुरोध है कि उल्लिखित समय सीमा के भीतर सर्वोच्च प्राथमिकता पर अपनी समय-सारिणी तैयार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें । समय-सारिणी निम्न ईमेल - admissionmgahv@hindivishwa.ac.in पर प्रेषित करने कष्ट करें।

14/07/25

(डॉ. प्रकाश नारायण त्रिपाठी)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

उपर्युक्तानुसार समस्त संबंधित।

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. माननीय कुलपति महोदया की ओर सूचनार्थ
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अकादमिक निदेशक/ निदेशक/ प्रभारी
3. कुलसचिव कार्यालय
4. वित्त विभाग
5. परीक्षा विभाग
6. प्रभारी : लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
7. रक्षित पत्रावली।